समाहरणालय, सहरसा

(जिला स्थापना शाखा)

पत्रांक ...../स्था0

।।– आदेश –।।

श्री विनोद कुमार झा, तत्कालिन उच्च वर्गीय लिपिक–सह–नाजिर, प्रखंड कार्यालय सिमरी बख्तियारपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त उच्च वर्गीय लिपिक, अंचल कार्यालय, कहरा के विरूद्ध रोकड़बही का संधारण नहीं करने, प्रखंड नजारत का प्रभार नहीं सौपने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन व कल्याण छात्रवृत्ति का ससमय भुगतान नहीं करने, इन्दिरा आवास के भुगतान में अनियमितता बरते जाने एवं अनधिवृत सूप से अनुपस्थित रहने के कारण इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 34–2 सपत्र/स्था0 दिनांक 24.02.2005 द्वारा इनके विरूद्ध ''प्रपत्र–क'' में आरोप गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी के रूप में निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन डी0आर0डी0ए0, सहरसा एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी सिमरी बख्तियारपुर को नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी–सह–निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन डी0आर0डी0ए0, सहरसा द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन पत्रांक 434–2सपत्र/जि0ग्रा0वि0 अभि0 दिनांक 06.03.2010 जाँच प्रतिवेदन में यह उल्लेखित किया गया है कि प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी सिमरी बख्तियारपुर बार–बार निदेश के बावजूद उपस्थित नहीं हुए। फलतः उनके द्वारा एक तरफा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

अतः गठित आरोप ''प्रपत्र–क'' के आलोक में समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत पुनः जाँच की आवश्यकता महसुस की गई। तद्नुसार इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 164 स्था0 दिनांक 13.02.2011 द्वारा पुनः विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी के रूप में अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में पूर्ववत् प्रखंड विकास पदाधिकारी सिमरी बख्तियारपुर को नियुक्त किया गया।

श्री झा के विरूद्ध ''प्रपत्र–क'' में गठित आरोप उनके द्वारा समर्पित कारण पृच्छा। द्वितीय कारण पृच्छा पूर्व संचालन पदाधिकारी निदशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन डी0आर0डी0ए0, सहरसा का प्रतिवेदन, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी सिमरी बख्तियारपुर से प्राप्त प्रतिवेदन की निम्नवत समीक्षा की गई :–

क्र	आरोप	आरोपी का ब्यान	पूर्व संचालन पदाधिकारी का मंतव्य	प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी का प्रतिवेदन	संचालन पदाधिकारी का मंतव्य
01	02	03	04	05	06
1	जनवरी, 2004 से 18.03.2004 तक का रोकड पंजी लेखापाल तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं कराया गया है।	इस आरोप के विरूद्ध कहना है कि उक्त अवधि में प्रखड कार्यालय, सिमरी बख्तियारपुर में लेखापाल–सह–प्रधान सहायक का पद रिक्त था। स्थानीय व्यवस्थ के तहत प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा श्री राम पुकार ठाकुर जो फैक्स से समाहरणालय सम्वर्ग में लिपिक के पद योगदान दिये थो, को प्रधान लिपिक का कार्य करने का आदेश दिया गया था। इन्हें रोकड पंजी संधारण की जानकारी नही रहने के कारण रोकड पंजी का हस्ताक्षर नहीं हो सका। जिसकी सूचना तत्कालिन प्रखंड विकास पदाधिकारी, श्री अभय ठाकुर को दी जाती रही थी। उनके आदेश के बावजुद भी श्री ठाकुर द्वारा रोकड़ पंजी की जॉच जानकारी के अभाव में नहीं की जा सकी। श्री ठाकुर मुझसे 20 वर्ष कनीय है। उल्लेखनीय है कि श्री ठाकुर, प्रखंड सहायक की सेवा लिपिक सम्वर्ग में काफी कम दिनों की थी साथ ही वे विभागीय लेखा परीक्षा भी उत्तीर्ण नही थे।	प्रखंड कार्यालय के प्रधान सहायक का कार्य श्री राम कुमार ठाकुर नवनियुक्त सहायक, जिनकी सेवा पैक्त से समायोजित हुई थी को लेखा की कोई जानकारी नहीं थी। फलतः उनके द्वारा रोकड पंजी सत्यापित नहीं की जा सकी। जिसकी सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी को उनके द्वारा बराबर दी जाती रही थी।	प्रखंड विकास पदाधिकारी–सह–प्रस्तुतीकरण, सिमरी बख्तियारपुर ने अपने पत्रांक 571–1 दिनांक 25.10.2016 के आलोक में श्री विनोद कुमार झा, तत्कालिन नाजीर प्रखंड कार्यालय सिमरी बख्तियारपुर सम्प्रति उच्च वर्गीय लिपित अंचल कार्यालय कहरा के विरूद्ध गठित आरोप प्रपत्र–'क' के विरूद्ध निदेशक लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन–सह–विभागीय कार्यवाही संचालन पदाधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सहरसा के द्वारा किया गया स्पष्ट प्रतिवेदन में लेखा प्रतिवेदन में लेखा संधारण में काफी अनियमितता बरती गयी है। प्रखड विकास पदाधिकारी,	श्री राम निवास पाण्डेय, तत्कालिन निदेशक लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन–सह–विभागीय कार्यवाही संचालन पदाधिकारी, जिला ग्रामीण विकास कार्यक्रम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा समर्पित श्री विनोद कुमार झा तत्कालिन नाजीर प्रखंड कार्यालय सिमरी बख्तियारपुर पर चल रही विभागीय कार्यवाही जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रखंड सिमरी बख्तियारपुर नजारत से संबंधित उपरोक्त अवधि में लेखा सधारण में काफी अनियमितता है तथा तत्कालिन अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर के द्वारा स्थानीय थाना में दायर प्राथमिकी का
2	दिनांक 19.03.2004 से रोकड बही का सधारण नहीं किये जाने से नजारत का वित्तीय स्थिति स्पष्ट नहीं होती है।	इस आरोप के विरूद्ध कहना है कि दिनांक 19.03.2004 से रोकड पजी का सधारण तत्कालिन प्रखड विकास पदाधिकारी द्वारा नीजी तौर पर बैंक से चेक की निकासी एव अग्रिम हेतु चेक अपने स्तर से निर्गत किये जाने के कारण तथा इसके वितरण की मौखित सूचना मिलने के फलस्वरूप समय पर रोकड पंजी का संधारण मेरे द्वारा नहीं किया जा सका। इस संदर्भ में स्पष्ट कहना है कि तत्कालिन प्रखंड विकास पदाधिकारी, श्री ठाकुर	प्रखड विकास पदाधिकारी द्वारा नीजी तौर पर बैंक से निकासी एवं अग्रिम हेतु चेक निर्गत की जा रही थी तथा इसकी मौखित सूचना मिलने के फलस्वरूप रोकड पंजी संधारित नहं की जा सकी थी। इस संबंध में इन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत पत्र जो प्रखंड विकास पदाधिकारी से सबंधित है। श्री		

		द्वारा द्वारा बैंक से किसी सरकारी कर्मचारी के माध्यम से चेक बुक प्राप्त किया जाता था। जिसकी कोई सूचना कार्यालय को नहीं दी जाती थी। मात्र इतना ही कहा जाता कि रोकड़ पंजी को संधारण अभी न करें। अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर के पत्रांक 683–2 दिनांक 07.05.2004 में प्रतिवेदित है कि श्री प्रदीप मंडल, पंचायत सेवक के माध्यम से नाजीर के जानकारी के बिना 400 (चार सौ) चेक कोशी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के खाता सं0–808 के विरूद्ध प्राप्त किया। जिसकी (छायाप्रति) अवलोकनार्थ संलग्न।	झा द्वारा अनुलग्नक रूप में प्रस्तुत किया गया है। के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि चेक कार्य नजारत से निर्गत नहीं होकर प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा विभिन्न कर्मी पर्यवेक्षक एवं विचौलियों के माध्यम से ही चेक निर्गत किया जाता था। यह चेक भी विभिन्न बैंको से उनलोगो के ही माध्यम से प्राप्त किया जाता था। नजारत को इसकी कोई सूचना नही थी।(एनेक्सर–1)	सिमरी बख्तियारपुर द्वारा श्री झा के विरूद्ध गठित आरोप पत्र प्रपत्र–'क' सहीं प्रतीत किया गया है।	फलाफल भी अप्राप्त है। प्रथम दृष्टया अवलोकन से प्रपत्र–'क' में लगाये गये आरोप प्रमाणित प्रतीत होता है।
3	आदेश के बावजूद भी अग्रिम का समायोजन तथा अध्यतन रोकड़ पंजी तथा अभिश्रव उपलब्ध नहीं कराया गया है।	उपरोक्त आरोप पूर्णतः निराधार है। इस संदर्भ में कहना है कि जिस तिथि को अग्रिम प्राप्तकर्त्ता द्वारा अभिश्रव नजारत में जमा किया गया था। उसी तिथि को अग्रिम का समायोजन किया गया है। इसका विस्तृत विवरण जो अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर द्वारा प्रति हस्ताक्षरित है कि (छायाप्रति) संलग्न की जा रही है।	इनके द्वारा इस आरोप के निराधार बतलाया गया है। जिस तिथि को अग्रिम प्राप्तकर्त्ता द्वारा अभिश्रव नजारत में जा किया गया था उसी दिन अग्रिम का समायोजन किया गया है। इसका विस्तृत प्रतिवेदन जो अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हैं, कि छायाप्रति संलग्न की गयी है।(एनेक्सर–1)		
4	आपको प्रभार सौपने के लिए कई बार पत्र दिया गया किंतु आपके द्वारा लेने से इंकार किया गया, आदेश की अवहेलना की जाती रही हैं।	उक्त आरोप के संबंध में कहना है कि मेरे द्वारा कोई सरकारी पत्र लेने से इन्कार नहीं किया गया है तो इसका साक्ष्य कार्यालय में अवश्यक ? उपलब्ध होगा। साक्ष्य के रूप में उपलब्ध किया जा सकता है। उक्त आरोप के संबंध में मुझे यह भी कहना है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर के आदेश ज्ञापांक 289–2 दिनांक 28.05.04 द्वारा तत्कालीन प्रधान सहायक को 24 घंटे के अन्दर प्रभार सौपने का आदेश प्राप्त हुआ था, परन्तु वे प्रभार लेने से पूर्ण रूपेण मुकर गये। इसकी सूचना तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी को दी जा चुकी थी। पुनः कार्यालय आदेश ज्ञापांक 518–2 दिनाक 13.08.04 द्वारा श्री विलास बैठा, अंचल नाजीरको प्रभार सौपने का आदेश प्राप्त हुआ लेकिन उनके द्वारा भी प्रभार लेने से इन्कार किया गया कि जब तक रोकड़ पंजी में अद्यतन प्रतिष्टि एवं हस्ताक्षरित नहीं हो जाती प्रभार ग्रहण कराना संभव नहीं है। इस संदर्भ में मेरा कहना है कि तत्कालीन प्रखंड . विकास पदाधिकारी द्वारा आपके स्तर से भारी वित्तीय अनियमितता किये जाने के कारण नव पदस्थापित प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री शशांकर लाल द्वारा रोकड पंजी पर हस्ताक्षर नहीं किया जा सका। फलतः नजारत का प्रभार हस्तानांन्तरण नहीं करने का झुठा आरोप मुझ पर लगाया गया। (आदेश की छायाप्रति संलग्न)	इस संबंध में आरोपी का कहना है कि दो–दो बार श्री ठाकुर एवं श्री बैठा के प्रभार लेने का आदेश दिया गया। परंतु वे दोनों प्रभार से मुकर गये। तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा भारी वित्तीय अनियमितता के डर से नव पदस्थापित प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री शंशाकलाल द्वारा प्रभार प्राप्त नहीं किया गया तथा नये रोकड़ पंजी खोल कर कार्य का निष्पादन शुरू कर दिया गया।		
5	रजिस्ट्रड डाक से भी प्रभार सौंपने संबंध में पत्र भेजा गया जिसे आपके द्वारा लेने से इंकार किया गया। यह सरकारी आदेश की अवहेलना है।	उक्त आरोप के संबंध में कहना है कि रजिस्ट्रर्ड डाक से प्रभार सौपने के संबंध में कोई पत्र मुझे नहीं दिया गया है, अगर रजिस्ट्रर्ड डाक मेरे द्वारा लेने से इंकार किया गया है तो इसका साक्ष्य कार्यालय में अवश्य ही उपलब्ध होगा। इसे प्राप्त किया जा सकता है।	आरोपी का कहना है कि उन्हे कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ। यदि उनके द्वारा पत्र नहीं लिया गया तो डाकिया का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया। यद्यपिसंचिका में संधारित पत्र पर पत्र नहीं लेने से इंकार करने का उल्लेख नही है। प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के अनुपस्थित रहने एवं कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के फलस्वरूप इस आरोप की पुष्टि नहीं की जा सकी।		
6	उप विकास आयुक्त, सहरसा के ज्ञापांक 1096–2 दिनांक 25.04.04 के प्रभाव से आपको निलंवित किया गया है, लेकिन आज की तिथि तक आपकें द्वारा प्रभार नही सौप कर टाल मटोल किया जा रहा	इस आरोप के संदर्भ में कहना है कि उप विकास आयुक्त, सहरसा के ज्ञापांक 1096–2 दिनाक 26.05.04 द्वारा तत्कालीन प्रभाव से मुझे निलंवित किया गया, जिसकी प्रतिलिपि प्रखंड विकास पदाधिकारी सिमरी बख्तियारपुर को अग्रसारित थी, परन्तु उनके द्वारा मुझे मौखित रूप से कहा गया कि नियमित रूप से नजारत का कार्य सम्पादन करना है। उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दिनाक 31.05.04 को चेक निर्गत एवं	इस आरोप के संबंध में आरोपी का कहना है कि उप विकास आयुक्त, सहरसा के आदेश ज्ञापांक 1096–2 दिनांक 26.05.04 द्वारा इन्हें निलंबित किया गया था। जिसकी प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी को मिली। फिर भी निलंवित की अवधि में इनके द्वारा कार्य लिया गया हैं।		

	है। जिसके कारण निदेशानुसार एक पक्ष के अंदर रोकड़ पंजी की जाँच प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा नहीं की जा सकी।	अन्य कार्य नजारत संबंधित कार्य करवाये जाते रहें है।	यदि इस अवधि में कार्य नहीं लिया गया तो सभी रोकड़ पंजी पर प्रखंड विकास पदाधिकारी का हस्ताक्षर क्यों हैं ? अतः प्रखंड विकास पदाधिकारी के सहमति से ही निलंबित सहायक से कार्य लिया जाता रहा है।		
7	अनुमंडल पदाधिकारी सिमरी बख्तियारपुर का ज्ञापांक 1368–2 दिनांक 27.08.04 के द्वारा नजारत पंजी की जाँच रखी गयी थी, लेकिन आपकी अनुपस्थिति एवं प्रभार नहीं सौंपे जाने के कारण जाँच संभव नही हो सका।	इस आरोप के संदर्भ में अनुमंडल पदाधिकारी सिमरी बख्तियारपुर के पत्रांक 676–2 दिनांक 01.05.04, 684–2 दिनांक 07.05.04, 683–2 दिनांक 07.05.04, 676–2 दिनांक 01.05.04 एवं 818–2 दिनांक 09.06.04 एवं 705–2 (सभी पत्रों की छायाप्रति संलग्न) के संदर्भ में कहना है कि तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी सिमरी बख्तियारपुर द्वारा इन्दिरा आवास योजना की राशि वितरण में स्वेच्छाचारिता वरतने के फलस्वरूप सरकारी राशि का पूरी मात्रा में दुर्रविनियोग किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी सिमरी बख्तियारपुर द्वारा वाध्य होकर तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी के विरूद्ध सिमरी बख्तियारपुर थाने में मो0 178,24,000.00 रूपये गवन की प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी दर्ज करने के पूर्व सरकारी राशि दुर्रविनियोग संबंधी जानकारी में द्वारा ही अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर को उनके द्वारा जाँच की क्रम में दी गई थी जिसका विवरण अनु0 पदा0 के उपरोक्त पत्रों में संलग्न है। अस्तु अनु0 पदा0 सि0ब0पुर द्वारा की गई जाँच के क्रम में मेरे द्वारा अनपस्थिति का आरोप पूर्णतः निराधार है।	इस आरोप के संबंध में आरोपी का कहना है कि तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा राशि दुर्निवनियोग करने संबंधी कागजाता उपलब्ध कराया गया तथा अनुमंडल पदाधिकारी के पत्र संख्या 818–2 दिनांक 09.06.04 द्वारा तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी के विरूद्ध सिमरी बख्तियारपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी।(एनेक्सर–3)		
8	आपके द्वारा प्रभार नहीं दिये जाने से उपर वर्णित तथ्यों के अतिरिक्त प्रखंड विकास पदाधिकारी की कई कठिनाईयों का सामना करना पडा है। जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन/कल्याण छात्रवृत्ति का भुगतानन समय पर नहीं हो सकता तथा विकास कार्यो की प्रगति पर प्रतिकूल असर पडा है।	इस आरोप के विरूद्ध मुझे कहना है कि तत्कालिन प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा काफी मात्रा में अपने स्तर से ही गलत ढंग से सरकारी राशि का वितरण करने एवं उस राशि को रोकड पंजी में बिना किसी साक्ष्य का प्रविष्टि हेतु बाध्य किया गया। जिसका प्रतिरोध करने पर मुझे काफी धमकी दी गयी। यहाँ तक की मुझे मारने की साजिस की गयी थी। जिसकी सूचना सिमरी बख्तियारपुर के स्थानीय व्यक्ति द्वारा दी गयी थी। जिस भय से मेरा वहाँ प्रभार हस्तानांतरण कराना संभव नहीं था। इस अवधि में अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर के पत्रांक–684– 2 दिनांक–04.05.04 की आधार पर उप विकास आयुक्त, सहरसा के आदेश ज्ञापांक–1096–2, दिनांक–26.05.04 द्वारा मुझे निलंबित करते हुए जिला विकास शाखा मेरा मुख्यालय निर्धारित किया गया। फलतः मेरा प्रखण्ड कार्यालय में उपस्थित रहना आवश्यक नहीं था।	इस अवधि में आरोपी को निलंवित करते हुए मुख्यालय जिला स्थापना शाखा नियोजित किया गया था।		
9	आपके द्वारा इंदिरा आवास के भुगतान में बरती गयी अनियमितता की जाँच के लिए जिला पदाधिकारी, सहरसा के द्वारा गठित जाँच दल पत्रांक–1925 दिनांक– 17.08.2004 को भी कोई कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके कारण जाँच की कार्रवाई को आपके द्वारा बाधित किया गया। आपके द्वारा उक्त वर्णित सभी कृत एवं सरकारी सेवक के कार्य कलाप, अनुशासन एवं कर्त्तव्य के बिल्कुल विपरीत है।	उक्त आरोप के संबंध में कहना है कि इंदिरा आवास राशि का भुगतान नजारत द्वारा नहीं किया गया है। बल्कि प्रखंड पर्यवेक्षक/पंचायत सेवक एवं राजस्व कर्मचारी को इंदिरा आवास की राशि अग्रिम के रूप में दी जाती थी। उनके द्वारा भुगतान के बाद ही अभिश्रव का समायोजन हेतु नजारत में दिया जाता था। साक्ष्य के रूप में अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर के पत्रांक–676–2, दिनांक–01.05.04 में प्रतिवेदन अग्रिम एवं समायोजन का विवरण अवलोकनीय है।	इस आरोप के संबंध में आरोपी का कहना है कि प्रखण्ड पर्यवेक्षक, पंचायत सेवक एवं राजस्व कर्मचारी को इंदिरा आवास की राशि अग्रिम के रूप में दी जाती थी और उनके द्वारा भुगतान के बाद ही अभिश्रव समायोजन हेतु नजारत में दिया जाता था।		
10	उपस्थिति पंजी की छायाप्रति संलग्न के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आप फरवरी, 2004 में	उक्त आरोप के विरूद्ध मुझे कहना है कि उपस्थिती पंजी में उक्त तिथियों की उपस्थिति सही में दर्ज नही की जा सकी। जिस अवधि में तात्कालिन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी गंगजला स्थित अपने आवास पर रोकड पंजी लिखाया	इस अवधि में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा सहरसा गंगजला आवास पर रोकड पंजी का संधारण इनके द्वारा कराया जाता था। इस अवधि में उनके		

	दिनांक–27.02.2004 से 15.04.2004 तक एवं 19.05.04 से 09.11.2004 होने की तिथि तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है।	करते थे। दिनांक–27.02.04 से 15.04.04 तक की लगतार अनुपस्थिति के संबंध में ठोस प्रमाण रोकड़ पंजी का संधारण एवं 31 मार्च को कोषागार संबंधी काम मेरे द्वारा ही किया गया है। दुसरा प्रमाण यह भी है कि उक्त आरोपित अवधि में मैं अगर अनुपस्थित था तो उसी समय मेरे विरूद्ध सरकारी नियमानुसार अनुपस्थिति के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की गयी होती।	द्वारा रोकड पंजी संधारित है। दिनांक–27.02.04 से 15.04.04 तक की लगातार अनुपस्थिति के संबंध में ठोस प्रमाण रोकड़ पंजी का संधारण एवं 31 मार्च को कोषागार संबंधी कार्य उनके द्वारा किया गया है।		
11	माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित अनेको मामलो का निष्पादन श्रीमान् के द्वारा प्रभार नही देने के फलस्वरूप बाधित है तथा बाध्य होकर छदम केश बुक नया संधारित कर कार्य किया जा रहा है।	उक्त आरोप के विरूद्ध कहना है कि तात्कालिन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के मौखिक निदेशानुसार बैंक स्क्रोल के आधार पर रोकड पंजी के संधारण से उत्पन्न परिस्थिति वस मुझे रोकड पंजी का प्रभार स्थानान्तरण नहीं करने हेतु वाध्य किया जाता रहा तथा दूरभाष पर मुझे तरह–तरह की धमकी दी जाती रही। जिस भय से नजारत का प्रभार नहीं दिया जा सका। अभी भी करोडो का अग्रिम चेक आवंटन की प्रत्याशा में लोगो के पास उपलब्ध है। जो किसी कारण वश निकासी नही की जा सकी है और साथ ही बहुत से ऐसे चेक है जिसकी निकासी हो चुकी है। परन्तु अधकट्टी एवं अभिश्रव अनुपलब्ध होने के कारण उसकी प्रविष्टि रोकड पंजी में नहीं हो सकी है।	इस संबंध में आरोपी का कहना है कि तात्कालिन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा मात्र बैंक स्क्रॉल के आधार परा रोकडत्र पंजी संधारण हेतु दवाव एवं धमकी दी जाती थी। फलस्वरूप नजारत एवं अन्य कागजात का प्रभार उनके द्वारा सौपा नहीं गया।		
12	उप विकास आयुक्त, सहरसा के आदेश का अनुपालन आपके द्वारा अनाधिकृत अनुपस्थित से नहीं हो सका। सा0सु0 पेंशन के भुगतान में वर्षो विलम्ब हुआ / कल्याण छात्रवृत्ति / इंदिरा आवास पडा। वर्ष 2003–04 का अंकेक्षण / प्रखंड विकास पदाधिकारी के प्रभार का विधिवत् लगातार अनुपस्थित रहने से अनेको कल्याणकारी योजना की प्रगति पर प्रतिकूल असर पडा।	उक्त आरोप के विरूद्ध कहना है कि अगर मैं कार्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित था तो मुझे वेतनादि का भुगतान नियमित रूप से किस आधार पर किया जाता रहा। साथ ही उस समय आरोपित अवधि वर्ष 2003–04 तक मेरे अनुपस्थिति के विरूद्ध समुचित कार्रवाई क्यों नही की गयी। इस प्रकार उक्त आरोप पूर्णत निराधार है।	आरोपी का कहना है कि यदि ये अनुपस्थित थे तो इस अविध का वेतनादि का भुगतान किस आधार पर किया जाता रहा। इनका ये भी कहना है कि जब मैं अनुपस्थित था तो उस समय मेरे विरूद्ध क्यो नहीं कार्रवाई की गयी। इस तरह यह आरोप भी मुझे फंसाने के लिए लगाया गया है।		
13	अगर आपके नजारत की जॉच होगी तो गंभीर आरोप सामने आयेगें।	उक्त आरोप के विरूद्ध मेरा निवेदन पूर्वक आग्रह है कि नजारत एवं नजारत से संबंधित सभी कागजातो की पूर्ण जॉच की जाय तथा दोषी व्यक्तियों पर अविलम्ब कार्रवाई कर कठोरतम सजा देने पर विचार किया जाय।	इस आरोप के सबध मै आरोपी का कहना है कि प्रखण्ड नजारत की उच्च स्तरीय जॉच करायी जाय। जॉचोपरान्त ही दोषी पदाधिकारी एवं कर्मी को चिन्हित किया जा सकेंगा।		

दिनांक 18.02.2017 को अधोहस्ताक्षरी के समक्ष आरोपी कर्मी ने अपने द्वितीय कारण पृच्छा में अपने विरूद्ध गठित आरोपों का कोई खंडन नहीं किया साथ ही यह उल्लेखित कियाकि वर्त्तमान संचालन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर ने कारण पृच्छा समर्पित करने का अवसर प्रकट नहीं किया।

समीक्षा :– वर्त्तमान में आरोपी कर्मी से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के मंतव्य एवं संचालन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर से प्राप्त प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि श्री झा के विरूद्ध आरोप पत्र "प्रपत्र–क" में गठित सभी आरोप रोकड़ पंजी का ससमय संधारण नहीं करना, अनधिकृत रूप से कार्यालय से अनुपस्थित रहना, नजारत का प्रभार नहीं सौपना, छात्रवृत्ति व पेंशन का ससमय लाभुकों को भुगतान नहीं करना इन्दिरा आवास के भुगतान में अनियमितता बरते जाना सत्य पाया गया।

निष्कर्ष :– श्री विनोद कुमार झा तत्कालीन उच्च वर्गीय लिपिक–सह–नाजिर प्रखंड कार्यालय सिमरी बख्तियारपुर को विरूद्ध "प्रपत्र–क" में गठित आरोप काफी गंभीर प्रवृत्ति के हैं। श्री झा ने अपने पूर्व में ये समर्पित कारण पृच्छा में संतोषजनक जवाब समर्पित नहीं किया है। जबकि प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी सिमरी बख्तियारपुर ने "प्रपत्र–क" में गठित आरोपों की पुष्टि

की हैं एवं संचालन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी सिमरी बख्तियारपुर ने भी अपने जाँच प्रतिवेदन में गठित सभी आरोपों के प्रमाणित पाया है।

श्री झा के विरूद्ध अधिरोपित आरोप गंभीर आरोप की श्रेणी में आते है यदि आरोपित कर्मचारी सरकारी सेवा में होते तो उन्हें बर्खास्तगी से कमतर कोई दण्ड अनुमान्य नहीं था। परन्तु आरोपित कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके है इसलिए श्री झा का 100 प्रतिशत पेंशन रोक रखने का पर्याप्त/यथेष्ठ करण है।

श्री झा दिनांक 31.01.2017 को सेवानिवृत्त हो चुके है। अतः प्रमाणित उपर्युक्त आरोपों के आलोक में बिहार पेंशन नियमावली एवं बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली में निहित प्रावधान के आलोक में मैं बिनोद सिंह गुंजियाल, भा०प्र०से०, जिलाधिकारी, सहरसा श्री बिनोद कुमार झा, तत्कालीन नाजिर –सह– उच्च वर्गीय लिपिक को आदेश निर्गत की तिथि से बिहार पेंशन नियमावली, 43बी० के तहत 100 प्रतिशत पेंशन से वंचित करता हूँ।

श्री बिनोद कुमार झा, तत्कालीन नाजिर, उच्च वर्गीय लिपिक (सेवानिवृत्त) प्रखंड कार्यालय, सिमरी बख्तियारपुर संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है :–

1. सरकार सेवक का नाम :– श्री बिनोद कुमार झा
2. पिता का नाम :– स्व० भगीरथ झा
3. स्थायी पता :– ग्राम+पोस्ट–लगमा, थाना–सोनवर्षाराज, जिला– सहरसा
4. जन्मतिथि :– 15.01.1957
5. पदनाम :– उच्च वर्गीय लिपिक
6. कार्यालय का नाम :– अंचल कार्यालय, कहरा
7. नियुक्ति की तिथि :– 01.07.1978

इसकी सूचना सभी संबंधितों का दी जाए।

विश्वासभाजन

स्थापना उप समाहर्त्ता, सहरसा। 27/3/17 15/3/17 27/3/17

अपर समाहर्त्ता, सहरसा 10/9/17

जिला पदाधिकारी, सहरसा।

ज्ञापांक 730/स्था० सहरसा, दिनांक 24/06/2017 ई०।

प्रतिलिपिः– श्री बिनोद कुमार झा, तत्कालिन उच्च वर्गीय लिपिक–सह–नाजिर, प्रखंड कार्यालय सिमरी बख्तियारपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त उच्च वर्गीय लिपिक, अंचल कार्यालय, कहरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर/ अंचल अधिकारी, कहरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सहरसा/जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता, सहरसा/उप विकास आयुक्त, सहरसा/विशेष कार्य पदाधिकारी, समाहर्त्ता के गोपनीय शाखा, सहरसा/अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा/सिमरी बख्तियारपुर/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहरसा/सिमरी बख्तियारपुर/जिला कल्याण पदाधिकारी, सहरसा/ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा/आई०टी० मैनेजर, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

स्थापना उप समाहर्त्ता, सहरसा। 27/3/17 15/3/17 27/3/17

अपर समाहर्त्ता, सहरसा 19/9/17

जिला पदाधिकारी, सहरसा।